स्पीड पोस्ट/ई-मेल द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-**110001**

सं. **590**/ मामला अध्ययन/**2015**/प्रशि.।। तारीख **22** दिसम्बर, **2015**

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय **:** मामला अध्ययन आमंत्रित करने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आपको विदित है, भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान **(**आई आई आई डी ई एम**)** विभिन्न निर्वाचन प्रबंधकों के लिए शैक्षणिक एवं कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करता रहा है। आई आई आई डी ई एम का अभिमत निर्वाचन मशीनरी के कौशलों को बेहतर करना और दक्ष निर्वाचन प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण करना है। दक्ष तरीके से प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पूरे विश्व में फैसिलिटेटर्स द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले तरीकों में से एक तरीका मामला अध्ययन है। यह प्रशिक्षुओं के बीच प्रायोगिक शिक्षा अर्जन **(**लर्निंग**)** को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावकारी दृष्टिकोण रहा है।

2. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने निर्णय लिया है कि निर्वाचन मशीनरी से मामला अध्ययन को आमंत्रित किया जाना चाहिए और उनके वास्तविक जीवन अनुभवों को प्रशिक्षुओं के साथ साझा किया जाना चाहिए ताकि प्रशिक्षु निर्वाचन प्रबंधन की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझ सकें। इसलिए, आई आई आई डी ई एम, भारत निर्वाचन आयोग सभी हितधारियों **(**स्टेकहोल्डर्स**)** से मामला अध्ययन आमंत्रित करता है। यह महत्वपूर्ण है कि सभी प्रतिभागियों को मामला अध्ययन लिखने एवं आई आई आई डी ई एम को भेजने में समर्थ बनाने के लिए एक संरचना होनी चाहिए। अत:, मामला अध्ययन प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित संरचना तैयार की गई है**:**

पात्रता : राष्ट्रीय, राज्य, जिला से लेकर बूथ स्तर तक कार्यरत निर्वाचन कार्मिक/प्रबंधक जिनके पास न्यूनतम **2** वर्ष का अनुभव हो। शिक्षाविद, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान, निर्वाचन निगरानी निकाय, अनुसंधान विद्वान भी भाग ले सकते हैं।

- **प्रस्तावित पुरस्कार :** प्रत्येक स्वीकृत मामला अध्ययन को **10**,000 रु. **(**केवल दस हजार रुपए**)** का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
- **मामला अध्ययनों की कुल संख्या :** कुल पचास मामला अध्ययन होंगे जिनका चयन आई आई आई डी ई एम द्वारा किया जाएगा और उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा।
- **समय :** मामला अध्ययन अधिकतम **30** जनवरी, **2016** तक आई आई आई डी ई एम को पहुंच जाना चाहिए।
- **संपर्क/संयोजक :** सचिव **(**प्रशिक्षण**)**, भारत निर्वाचन आयोग **(011-23052033)**
- **आकार :** मामला अध्ययन का आकार फोटो सहित **9** पृष्ठों में लगभग **5,000** शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए।
- **शैली :** प्रयोक्ता हितैषी शैली में लिखा जाना चाहिए जिसका उपयोग शिक्षा अर्जन **(**लर्निंग**)** सामग्री के रूप में और प्रशिक्षण के दौरान और अधिक प्रकाश डाले जाने और वाद-विवाद को प्रोत्साहित किए जाने के लिए किया जाएगा। मामला अध्ययन एक सुगठित कहानी है। इसका लक्ष्य रूचिकर स्थिति या चुनौति को ग्रहण करना तथा उसके बाद इसे घटनाओं, एपिसोड एवं सूचना के साथ जीवन में उतारना है ताकि शिक्षा अर्जन करने वाले व्यक्ति घटनाक्रम से नजदीकी महसूस करें। सूचना प्रस्तुत करें ताकि "सही" उत्तर स्पष्ट न हो।

- **लक्ष्य :** मामला अध्ययन का मूल लक्ष्य विशिष्ट रूप से निर्वाचन स्थिति/चुनौति का आलोचनात्मक रूप से विश्लेषण करने और आकलन करने के संबंध में शिक्षा ग्रहण करने वाले व्यक्ति की क्षमता विकसित करना है और यह आवश्यक नहीं है कि वह व्यक्ति वही निर्णय लें जो वास्तविक मामले में लोगों द्वारा लिए गए हैं।
- **सुझाए गए मुद्दे :** निर्वाचन योजना, मतदाता पंजीकरण, निर्वाचन क्षेत्रों/मतदान केंद्रों का परिसीमन, समावेशी निर्वाचन, निवार्चनों में जेंडर, मतदाता शिक्षा और मतदाता सेवा, निर्वाचन प्रौद्योगिकी, हितधारियों की जरूरतों की अवधारणा, नामनिर्देशन, अभियान वित्तपोषण एवं व्यय नियंत्रण, मतदान एवं मतगणना, सुरक्षा, ई वी एम निर्वाचन अनुवीक्षण एवं प्रेक्षण, परिणाम प्रबंधन प्रणाली, विवाद निराकरण, निर्वाचन सुधार एवं निर्वाचन सत्यनिष्ठा, अतिसंवेदनशीलता मैपिंग, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन, राजनैतिक दल और अभ्यर्थी, अंतर-दल लोकतंत्र, शक्ति का अंतरण, निर्वाचन विधियों आदि से संबंधित।
- **फार्मेट तैयार करने संबंधी दिशानिर्देश :** फॉर्मेट तैयार करने संबंधी निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।
- **मामला अध्ययन का शीर्षक :** मामला अध्ययन को स्पष्ट एवं सार्थक शीर्षक दें।
- अध्ययन में चर्चा किए गए मुख्य विचारों को मुख्य शब्दों **(11** शब्दों तक**)** के रूप में लिखा जाना चाहिए।
- **सार :** मामला अध्ययन का सार **150** शब्दों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- **मामले का प्रारूपण :** इसके लिए निर्वाचन प्रबंधकों की सामग्री, कहानियां, उपाख्यान और वास्तविक जीवन में अनुभव को संग्रह करने के लिए अध्ययन एवं अनुसंधान अपेक्षित है। आपस में जुड़े **2/3** मुद्दों, वे क्यों अस्तित्व में हैं, किस प्रकार वे निर्वाचन परिदृश्यों को प्रभावित करते हैं, पर ध्यान केंद्रित करें।
- **प्रारूप रूपरेखा :** आवश्यक सामग्री संग्रह किए जाते ही विश्लेषण की प्रारूप रूपरेखा को तैयार करें एवं प्रस्तुत करें।
- **परिचय के घटक :** संक्षिप्त परिचय के साथ मामले को आरंभ करें **:**
- मामला अध्ययन के प्रमुख समस्याओं एवं मुद्दों को चिह्नित करें।
- थेसिस विवरण को तैयार करें और इसे शामिल करें, विश्लेषण के परिणाम का सारांश **2-3** पंक्तियों में तैयार करें।
- **मामला प्रस्तुति :**
- मामले की भावना को प्रथम पैरा में समेटें।
- परिदृश्य निर्धारित करें **:** वास्तविक पृष्टभूमि सूचना, सुसंगत तथ्य और सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाएं एवं संबंधित मुद्दे।
- इसमें यह प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि समस्या के बारे में इस मामला अध्ययन में अच्छी तरह अनुसंधान किया गया है।
- **प्रबंधन और परिणाम :**
    - किस प्रकार मामले को लिया गया,प्रबंधन किया गया और निराकरण किया गया एवं अंतत**:** क्या परिणाम था।
- **चर्चा :** इस भाग में -
- संभावित विकल्पों **(**आवश्यक नहीं है कि सभी विकल्पों**)** की रूप रेखा तैयार की जाएगी।
- यह स्पष्ट किया जाएगा कि क्यों अन्य विकल्पों को मुद्दों के निराकरण के लिए वर्तमान विकल्प के स्थान पर अस्वीकार किया गया।
- अवरोध/कारण क्या थे ? और उनको कैसे दूर किया गया ?
- क्यों इस समय विकल्प संभव नहीं है ?
- **प्रस्तावित निराकरण :**
- स्पष्ट करें कि क्यों इस निराकरण को चुना गया

- इस निराकरण के समर्थन में ठोस सबूत, विगत के अनुभव का उल्लेख करें, इसे वास्तविक जीवन की उपाख्यानों और अन्यत्र ऐसी ही कहानियों से सुसज्जित करें।
- व्यक्तिगत अनुभव **(**उपाख्यान**)**
- **मामले का सारांश 100** शब्दों में प्रस्तुत करें।
- **सीखी गई बातें :** यह दर्शाएं कि इस मामला अध्ययन से सीखी जाने वाली बातें क्या थीं जो भविष्य में सहायक होंगी।
- **सिफारिशें :**
- भविष्य में ऐसे ही चुनौतियों का निराकरण करने के लिए विशिष्ट कार्यनीतियों का सुझाव दें।
- कुछ मुद्दों का निराकरण करने के लिए आगे की कार्रवाई की सिफारिश करें।
- सूची बनाकर यह नियत करें कि क्या किया जाना चाहिए और इसे किसके द्वारा किया जाना चाहिए जब निर्वाचन प्रबंधकों/हितधारियों का सामना ऐसी ही स्थितियों से हो।
- **स्रोत :** वर्तमान मामला अध्ययन को विकसित करने के लिए संपर्क किए गए/प्रयोग किए गए स्रोतों और संदर्भों, यदि कोई हैं, को अनुबंध में संलग्न करें। यह सुनिश्चित करें कि आई पी आर जटिलताओं से बचने के लिए मामला अध्ययन में प्रयुक्त सामग्री हेतु अनुमति ली गई है।
- **प्रस्तुति :** मामला अध्ययन की सॉफ्ट एवं हार्ड दोनों कॉपी निदेशक, प्रशिक्षण आई आई आई डी ई एम **(**director.training.eci@gmail.com/sk.sharma@eci.gov.in**)** को संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करें।

3. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मामला अध्ययनों को आई आई आई डी ई एम द्वारा बनाई गई संरचना के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए और इसे उपर्युक्त पैरा में विस्तृत तरीके से स्पष्ट किया गया है। यदि मामला अध्ययन दूसरे फॉर्मेट**(**टों**)** में प्रस्तुत किया जाता है तो इस पर आई आई आई डी ई एम द्वारा चयन/पुरस्कार के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

4. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अध्ययनों को अधिकारी के वास्तविक जीवन पर आधारित होना चाहिए और किसी दूसरे स्रोत/अधिकारी से प्रेरित नहीं होना चाहिए। यह पूर्ण रूप से अधिकारी की जिम्मेदारी है कि उनके द्वारा प्रस्तुत व्यक्तिगत मामलों का पूर्ण रूप से नकल न किया जाए/जाली रूप से बनाया न जाए। ऐसे परिदृश्यों में, जहां मामला अध्ययन के लिए कोई विरोध पैदा हो जाता है और दूसरे अधिकारियों द्वारा दावा किया जाता है तो ऐसे निष्कर्ष से निपटने की जिम्मेदारी पूरी तरह उस अधिकारी की होगी जिन्होंने मामला अध्ययन को आई आई आई डी ई एम को प्रस्तुत किया है।

भवदीय

(एस. बी. जोशी**)**
सचिव
दूरभाष **: 011-23052033**
ई-मेल**:** usiiidem@gmail.com